

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 17/2012 सत्रवाद
संस्थापित दिनांक 10-01-2012

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

बंटी कुशवाह पुत्र कप्तानसिंह कुशवाह, उम्र 34
वर्ष, निवासी रघुनाथ सिंह का पुरा थाना गोहद
चौराहा, जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0. 1466/2011 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 17/2012

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 07-03-2017 को घोषित किया गया//

01. आरोपी बंटी का विचारण धारा 366 भा.द.वि के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 05.09.2011 को करीब 02:30 बजे पुराना बस स्टेण्ड अस्पताल रोड गोहद पर पीडिता का व्यपहरण अयुक्त संभोग करने अथवा विवाह करने हेतु विवश या बिलुब्ध करने के आशय से उसके वैध संरक्षक उसके पति नीतू उर्फ जितेन्द्र गोले की अनुमति एवं सहमति के बिना किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 06.09.2011 को फरियादी लक्ष्मण गोले निवासी रघुनाथसिंह का पुरा थाना गोहद चौराहा के द्वारा थाना गोहद में सूचना दी कि दिनांक 05.09.2011 को उसकी बहन विमलेश उसके भाई कल्लू को दवाई दिलाने गोहद आई थी वह कल्लू को इटायली गेट पर छोड़कर कहीं चली गई है, लौटकर

नहीं आई। उक्त सूचना पर पुलिस थाना गोहद में गुमइंसान सूचना क्रमांक 13/2011 पर दर्ज की गई। गुमइंसान सूचना की जांच की गई। दौरान जांच साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। दिनांक 20.09.2011 को अपहृता की दस्तयाव किया गया। उसके कथन लेखबद्ध किए गए तथा उसे उसके पिता की सुपुर्दगी में दिया गया। गुमशुदा के द्वारा अपने कथन में बताया गया कि वह अपने छोटे भाई कल्लू को दवाई दिलवाने के लिए गोहद आई थी और दवाई लेकर बापस इटायली गेट होकर बस स्टेण्ड तरफ आ रही थी तभी गांव का बंटी कुशवाह जीप में चार अन्य लोगों को बैठाकर मिला और उसे नाम लेकर बुलाया तो वह गांव का होने से उसके पास चली गई तो बंटी व अन्य साथ में आए चारों लोगों ने उसे इटायली गेट से जीप में बिठाना और ग्वालियर की तरफ ले जाते हुए नशे की गोलियों खिलाना बताया एवं दस्तयाबी तक अपने साथ रखना बताया है तथा यह भी बताया कि बंटी कुशवाह उसके उपर शादी करने का दबाव बनाना एवं शादी करने के उद्देश्य से उसे जीप में बिठाकर ले जाना बताया। जिस पर से आरोपी व अज्ञात चार लोगों के विरुद्ध अप0क्रं0 196/2011 धारा 366 भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिटि उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 366 भा0दं0वि0 का आरोप पाये जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

05. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 05.09.2011 को करीब 02:30 बजे पुराना बस स्टेण्ड अस्पताल रोड गोहद से पीडिता को अपने साथ जाने के लिए प्रवंचनापूर्ण या बल पूर्वक विवश या विलुब्ध किया गया?
2. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर पीडिता का अपहरण अयुक्त संभोग करने अथवा विवाह करने हेतु विवश या विलुब्ध करने के आशय से किया गया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 व 2:—

06. धारा 362 भा.द.वि. के अंतर्गत अपहरण को परिभाषित किया गया है, इसके लिए आवश्यक तत्व निम्न हैं— (1) किसी व्यक्ति को बल के द्वारा विवश करना या प्रवंचना पूर्ण उपायों के द्वारा उत्प्रेरित करना। (2) उक्त प्रवंचना या बल पूर्वक विवश करने का कृत्य किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाना। इस प्रकार अपहरण के अपराध के संबंध में उस व्यक्ति जिसका कि अपहरण किया जाना बताया जा रहा है उसकी इच्छा का अभाव होना चाहिए। धारा 366 भा0दं0वि0 विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री का अपहरण या व्यपहरण करने या इस हेतु उत्प्रेरित करने के संबंध में दंड का प्रावधान करता है। उक्त धारा की प्रमाणिकता हेतु यह आवश्यक है कि महिला को विवाह हेतु विवश करने या अयुक्त संभोग करने हेतु विलुब्ध करने के लिए उसका अपराध किया गया हो। धारा 366 भा0दं0वि0 के अपराध की प्रमाणिकता हेतु आरोपी का आशय महत्वपूर्ण होता है।

07. घटना की पीडिता अ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपी को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने गांव से गोहद के लिए अपने भाई कल्लू को दवाई कराने के लिए लेकर आई थी। गोहद बाजार में अपने भाई को दवाई दिलवाकर बस स्टैण्ड की तरफ आ रही थी तभी इटायली गेट गोहद पर आरोपी बंटी चार पहिया की गाड़ी लेकर खड़ा था, उसके साथ 2-4 अन्य लोग भी थे। आरोपी ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है तब उसने कहा कि वह अपने घर जा रही है, तभी आरोपी ने उसे गाड़ी में बिठा लिया और उसका मुँह बंद कर लिया और उसके भाई कल्लू को चांटा मारा और उसे गाड़ी में बिठाकर ग्वालियर की तरफ ले गया। आरोपी ने उसे कहीं रोका था और फिर उसे धमकाया और फिर रेलवे स्टेशन से मुम्बई की तरफ ले गया था, वहाँ से अहमदाबाद, पटना और कई अन्य जगह ले गया। उसे 15 दिन तक घुमाता रहा। आरोपी उससे कहता था कि उसके साथ शादी कर लो तो उसने आरोपी से कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगी। बाद में आरोपी उसे ट्रेन से ग्वालियर लाया और ग्वालियर स्टेशन पर उसे छोड़कर चला गया। वह स्टेशन पर रो रही थी तभी उसे पुलिस वाला मिला और उससे रोने के बारे में पूछा तो उसने उसे पूरी बात बताई तथा उसे अपने भाई का नम्बर बताया था। उसने भाई को फोन लगाया था, इसके बाद उसके पिता व भाई आ गए थे। फिर पुलिस वालों के साथ वह गोहद थाने पर आई थी जहाँ उसको दस्तयाव किया गया और पिता की सुपुर्दगी में दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका भी बनाया था।

08. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी लक्ष्मण अ0सा0 2 जो कि पीडिता का बड़ा भाई होकर सूचनाकर्ता भी है के द्वारा भी यह बताया गया है कि घटना दिनांक को उसकी बहन पीडिता उसके छोटे भाई कल्लू को गोहद दवाई लिवाने के लिए आई थी। आरोपी ने कल्लू को चांटे मारे और पीडिता को गाड़ी में बिठाकर ले गया था। कल्लू उनकी मौसी के यहाँ पहुँचा था और उन्हें मौसी ने खबर की थी कि कल्लू उनके यहाँ आ गया है और पीडिता को आरोपी बंटी ले गया है। फिर वह और उसका पिता मौसी के पास आए तो वहाँ पर भी कल्लू ने बताया कि पीडिता को बंटी ले गया है। फिर उसकी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिली। इस आशय का कथन बालाराम अ0सा0 4 जो कि पीडिता का पिता है और सोना अ0सा0 5 जो कि पीडिता की माँ के द्वारा भी किया गया है।

09. साक्षी लक्ष्मण अ0सा0 2 के द्वारा यह भी बताया गया है कि थाने में जाकर के पीडिता के गुम होने के संबंध में रिपोर्ट उसने लिखाई थी, गुमइंसान सूचना प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त घटना के 15 दिन बाद ग्वालियर पुलिस थाने से फोन आया था कि पीडिता थाने में है, उसकी सूचना पर वह ग्वालियर रेल्वेस्टेशन पर पहुँचे थे, वहाँ से अपनी बहन को लेकर गोहद आए थे। गोहद में दस्तयावी पंचनामा पुलिस ने बनाया था जो प्र.पी. 2 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और सुपुर्दगी प्र.पी. 3 है जिसपर भी उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी बहन ने उसे बताया था कि आरोपी बंटी इटायली गेट से उसे चार पहिया की गाड़ी में बिठाकर ग्वालियर ले गया था और ग्वालियर से अन्य शहर में ले गया था और उसके साथ गलत काम भी किया था। इस संबंध में अभियोजन साक्षी बालाराम के द्वारा यह बताया गया है कि पीडिता ने उसे बताया कि आरोपी बंटी उसे शादी करने का दबाव बना रहा था और साक्षिया सोना अ0सा0 5 ने यह बताया है कि लडकी ने उसे बताया था कि आरोपी बंटी उसे शादी करने के लिए ले गया था।

10. घटना के संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी जो कि पीडिता के साथ घटना के समय मौजूद होना बताया है कल्लू अ0सा0 3 ने भी आरोपी को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि उसकी बहन पीडिता उसे गोहद दवाई दिलवाने के लिए आई थी और गोहद में उसे डॉक्टर से दवाई दिलाई थी। वहाँ से वह दोनों बस स्टेण्ड जाने के लिए खरौआ गेट पहुँचे थे तो वहाँ पर आरोपी बंटी मिला था, बंटी के पास चार पहिया की गाड़ी थी। बंटी ने उसे थप्पड़ मारा और उसकी बहन को पीछे गाड़ी में बिठा लिया। उसके साथ 3-4 अन्य लोग भी थे। उक्त घटना के बाद वह अपनी मौसी के यहाँ पहुँचा और मौसी को घटना के बारे में बताया और उसकी मौसी ने उसके घर पर फोन लगाकर घटना के बारे में बताया था।

11. प्रतिपरीक्षण में पीडिता अ0सा0 1 इस बात को स्वीकार की है कि वह आरोपी

बंटी को शुरू से जानती है, क्योंकि वह गांव का ही रहने वाला है और इस बात को भी स्वीकार की है कि आरोपी बंटी की शादी उसकी शादी से पहले हो चुकी थी और उसके दो बच्चे भी हो चुके थे। साक्षिया के द्वारा यह भी बताया गया है कि उसकी शादी जीतू उर्फ जितेन्द्र के साथ मर्जी से हुई थी। कंडिका 4 में यह बताई है कि उसने अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण और दहेज मांगे जाने की कार्यवाही की थी। आरोपी बंटी की उसके भाई लक्ष्मण से अच्छी दोस्ती होना भी बता रही है और कंडिका 16 में इस बात को स्वीकार की है कि उसके भाई लक्ष्मण के उधारी के पैसे बंटी पर निकल रहे थे और इस बात की जानकारी न होना बता रही है कि उसके भाई लक्ष्मण ने बंटी से पैसे मांगे तो बंटी ने कहा कि अभी व्यवस्था नहीं है। साक्षिया कंडिका 16 में इस बात को स्वीकार की है कि उसका अपने पति जीतू से लड़ाई विवाद हो गया था इस कारण वह उसके साथ नहीं रहती थी और अपने मायके में आकर रहने लगी थी। साक्षिया इस बात को भी स्वीकार की है कि वर्तमान में जिस व्यक्ति के साथ रह रही है उसका नाम भी जीतू है और जिसके साथ वह रह रही है उसके साथ उसका विवाह नहीं हुआ है, उसके साथ बिदा होकर रह रही है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 में पीडिता स्वीकार की है कि इटायली गेट के दोनों ओर दुकानें बनी हुई हैं और भीड़-भाड़ लगी रहती है और लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। इस बात का ध्यान न होना बताई है कि जिस जगह पर वह खड़ी थी उसकी बगल से कोई दुकान थी अथवा नहीं। आरोपी के पास पहुँचने पर उससे कोई बातचीत न होना वह बता रही है।

12. प्रतिपरीक्षण कंडिका 8 में पीडिता बताई है कि ग्वालियर में रेलवेस्टेशन तक वह पैदल गई थी। टिकट की लाइन में आरोपी बंटी लगा था और उसे एक जगह बैठा दिया था। वह भीड़ वाले डिब्बे में ऊपर की वर्थ में बैठकर गई थी। कंडिका 9 में बताई है कि ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों से कोई भी बातचीत नहीं की थी और न ही किसी से कहा था कि उसे कहीं ले जाया जा रहा था। इसी कंडिका में साक्षिया यह बताई है कि वे लोक बुम्बई में एक दो दिन घूमे थे और इस बात को स्वीकार की है कि बुम्बई में घूमने के दौरान उसे कई लोग मिले थे और इस दौरान उसने किसी को नहीं बताया था कि आरोपी उसे जबरदस्ती ले आया है और न ही वह किसी से सहायता मांगने के लिए चिल्लाई थी। मुम्बई से वह आरोपी के साथ अहमदाबाद गई थी। अहमदाबाद में घूमे थे और खाना भी खाया था। अहमदाबाद से पटियाला गया थी। पटियाला में 5-6 दिन रुके थे और वहाँ पर होटल में रुके थे। उसने अहमदाबाद या पटियाला में किसी भी मिले व्यक्ति को यह नहीं बताया कि उसे आरोपी जबरदस्ती ले आया है। पटियाला के बाद उसे आरोपी ग्वालियर छोड़ आया था। कंडिका 11 में उसके द्वारा बताया गया है कि ग्वालियर पहुँचने के दो तीन दिन बाद अपने पिता के पास

पहुँची थी। यद्यपि इसी कंडिका में वह पुनः यह कह रही है कि पटियाला आने पर रास्ते में दो तीन दिन लग गए थे, इसलिए वह दो तीन दिन बता रही है। इसी कंडिका 11 में बताई है कि ग्वालियर से आने के बाद एक दिन गोहद थाने में रही थी और फिर दूसरे दिन पिता के पास गई थी। जिस दिन वह गोहद थाने आई थी उस दिन उसका भाई माँ, मौसी व अन्य रिस्तेदार भी थाने आ गए थे और रात को सभी उसके साथ थाने में ही रुके थे और रात भर उसकी उसके पिता, भाई, माँ और मौसी से बातचीत हुई थी।

13. अभियोजन साक्षी लक्ष्मण अ0सा0 2 जो कि पीडिता का भाई है और जिसकेद्वारा कि घटना की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई गई है के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 3 में यह बताया गया है कि उसने गुमशुदी रिपोर्ट प्र.पी. 1 में बंटी के द्वारा पीडिता को ले जाना वाली बता लिखा दी थी, किन्तु प्र.पी. 1 में कहीं भी आरोपी बंटी के द्वारा पीडिता को ले जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं आया है और इस संबंध में कोई कारण उक्त साक्षी नहीं बता पाना अभिकथित किया है। इस प्रकार उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दु रिपोर्टकर्ता के द्वारा लिखाई गई प्र. पी. 1 की रिपोर्ट एवं उसके न्यायालय में हुए कथन में तात्त्विक बिन्दुओं पर बिसंगति आई है। इस संबंध में उक्त प्र.पी. 1 में उसके द्वारा यह न लिखाना अभिकथित किया है कि उसके भाई कल्लू को इटायलीगेट पर कहाँ छोड़कर चली गई है लोटकर नहीं आई। जबकि प्र.पी. 1 में उक्त तथ्य आया है। इस प्रकार साक्षी के कथनों में उक्त तथ्य का लोप आया है। इसी प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा जाँच में पुलिस को दिए गए कथन में उसकी मौसी के द्वारा फोन पर यह बताना कि आरोपी बंटी पीडिता को ले गया है बता देना अभिकथित कर रहा है, जबकि प्र.डी. 3 में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में उसके भाई कल्लू के उसकी मौसी के घर इटायलीगेट के पास पहुँचना और उसके द्वारा बताना कि उसे दवा दिलाकर गांव के बंटी कुशवाह के साथ चली गई है और उससे कहा कि मौसी के यहाँ पहुँचे वह भी मौसी के यहाँ आ जाएगी का तथ्य कथन प्र.डी. 4 में न लिखाना साक्षी बता रहा है और मौसी के द्वारा फोन पर यह बताना कि लडकी बंटी के साथ चली गई है भी प्र.डी. 4 में न लिखाना और इसी प्रकार प्र.डी. 4 में यह न लिखाना कि उसे शक है कि उसके गांव का लडका बंटी कुशवाह उसे ले गया है अभिकथित किया है। आरोपी बंटी के द्वारा कल्लू को चांटा मारने वाली बात भी पुलिस को बताना अभिकथित किया है, किन्तु उपरोक्त संबंध में उसके पुलिस कथन में कोई भी बात नहीं आई है। इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी रिपोर्ट तथा उसके जाँच कथन एवं पुलिस को दिए गए कथनों में तात्त्विक बिन्दुओं पर विरोधाभास, बिसंगति आई है।

14. यह उल्लेखनीय है कि गुमशुदगी रिपोर्ट जो कि वर्तमान साक्षी लक्ष्मण जो कि

पीडिता का भाई है के द्वारा लिखाई गई गुमशुदगी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उसकी बहन उसके भाई कल्लू को दवा दिलवाने के लिए गई थी और कल्लू को इटायलीगेट पर छोड़कर कहीं चली गई और घर लौटकर नहीं आई। गुमशुदगी रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि आरोपी बंटी पीडिता को ले गया है अथवा बंटी पर किसी प्रकार का उसे ले जाने का शक होने की बात का भी उल्लेख नहीं है, जबकि इस संबंध में घटना दिनांक को ही सूचनाकर्ता उसे जानकारी हो जाना और गुमशुदगी रिपोर्ट प्र.पी. 1 में उक्त तथ्य को लिखवा देना भी बता रहा है। किन कारणों से उक्त गुमशुदगी रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है यह विचारणीय है। इसके अतिरिक्त साक्षी के जाँच के दौरान कथन प्र.डी. 3 व पुलिस को दिए गए धारा 161 जा0फौ0 के कथन प्र.डी. 4 में भी तात्त्विक बिन्दुओं पर विरोधाभास, बिसंगति आना स्पष्ट होता है और इस परिप्रेक्ष्य में भी साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

15. उपरोक्त संबंध में अभियोजन साक्षी बालाराम अ0सा0 4 जो कि पीडिता का पिता है के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में बताया है कि उसे पीडिता की मौसी ने फोन पर बताया था कि कल्लू उनके यहाँ बैठा है और पीडिता को बंटी ले गया है जो कि बात लक्ष्मण से हुई थी और लक्ष्मण ने उसे बताया था। फिर वह अपने घर से अपनी पत्नी को लेकर गोहद आया था और गोहद आकर सीधे थाने गए थे और उसने गोहद थाने में आकर सीधे रिपोर्ट डाली थी। जिस दिन लडकी घर से चली गई थी उसी दिन शाम को थाना आए थे और रिपोर्ट लिखाई थी, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जिस दिन की घटना होना एवं पीडिता को ले जाना बताया जा रहा है उस दिन किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट साक्षी बालाराम के द्वारा की गई हो ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं है। घटना दिनांक को केवल गुमशुदगी रिपोर्ट पीडिता के कहीं चले जाने के संबंध में दर्ज कराई गई है। निश्चित तौर से यदि घटना दिनांक को ही यह मालूम पड़ गया था कि आरोपी उसको भगाकर ले गया है और वर्तमान साक्षी जो कि पीडिता का पिता है उसी दिन रिपोर्ट करना बता रहा है तो वह ऐसी किसी रिपोर्ट की प्रति भी न्यायालय में क्यों पेश नहीं की गई है, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

16. अभियोजन साक्षी कल्लू अ0सा0 3 जो कि घटना के समय पीडिता के साथ होना बताया जा रहा है और जिसको कि दवा दिलाने के लिए पीडिता गोहद आना बता रही है, उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में बताया है कि दवाई लेकर खरौआ गेट के रास्ते से मौसी के यहाँ आ रहा था और खरौआ गेट से मौसी का घर करीब सौ मीटर की दूरी पर है। साक्षी के द्वारा न्यायालय में हुए कथन में यह बताया जा रहा है कि खरौआ गेट पर पहुँचने के पूर्व

ही उसकी बहन ने कहा था कि भाई मौसी के घर चल में तेरे पीछे आती हूँ। उसने अपनी बहन की बात नहीं मानी और अपनी बहन के साथ बना रहा। साक्षी इस बात से इन्कार किया है कि वह अपनी बहन के कहने के बाद अपनी मौसी के घर की ओर चल दिया और इस बात से भी इन्कार किया है कि जब वह मौसी के घर की ओर जा रहा था तभी उसे रास्ते में बंटी मिला था। कंडिका 4 में साक्षी यह बता रहा है कि उसने अपनी मौसी को बता दिया था कि पीडिता को आरोपी बंटी काली गाडी में बिठाकर ले गया है और मौसी को यह भी बता दिया था कि पीडिता बंटी के साथ चली गई है। कंडिका 5 में साक्षी पुलिस को वयान में यह बता देना उल्लेखित किया है कि बंटी काली गाडी में पीडिता को बिठालकर ले गया है, किन्तु उक्त बात उसके पुलिस कथन प्र.डी. 7 में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। साक्षी के कथन में इस आशय का लोप आया है कि बंटी ने उसे कहा कि मौसी के यहाँ जा और यह अभिकथित किया है कि उसकी मौसी के घर पहुँचा तो मौसी को बताया कि पीडिता को गांव का बंटी लेकर गया है, किन्तु प्र.डी. 7 में उक्त तथ्य का लोप है। साक्षी कंडिका 7 में इस बात को स्वीकार किया है कि उसका भाई लक्ष्मण का पैसा आरोपी बंटी पर बकाया था और इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसका भाई लक्ष्मण आरोपी बंटी से पैसा मांगता था।

17. यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी कल्लू जो कि घटना के संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी है। खरौआ गेट पर उसके एवं उसकी बहन के पहुँचने पर आरोपी बंटी के मिलने और उसके पास चार पहिया की गाडी होना वह बता रहा है, जबकि इस संबंध में घटना की पीडिता अ0सा0 1 यह बता रही है कि जब वह दवा दिलवाकर बस स्टेण्ड की तरफ आ रही थी तब इटायली गेट के पास आरोपी चार पहिया का वाहन लेकर मिला था। यह उल्लेखनीय है कि खरौआ गेट और इटायली गेट दो अलग अलग स्थान हैं जैसा कि अभियोजन साक्षी बालाराम के द्वारा स्वीकार करते हुए यह बताया है कि दोनों में करीबन एक किलोमीटर की दूरी है। घटनास्थल का नक्शामौका जो प्र.पी. 2 में कहीं भी घटनास्थल खरौआ गेट या इटायली गेट के पास होना नहीं दर्शाया गया है, बल्कि गोलम्बर रोड से किला रोड रोड की सीधी सड़क को दिखाते हुए मुदगल अस्पताल के सामने आम रोड पर घटनास्थल होना बताया जा रहा है, जबकि न तो पीडिता और साक्षी कल्लू के द्वारा उक्त स्थल पर कोई घटना होनी कहीं नहीं बताई गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि गोलम्बर रोड से किला रोड का प्रथक रास्त है, जबकि पुराने बसस्टेण्ड से इटायली गेट का रास्त अलग है। ऐसी दशा में साक्षी कल्लू के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथनों एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर बिसंगतियाँ देखते हुए उस पर विश्वास किया जाना उचित नहीं है।

18. अभियोजन साक्षी सोना बाई अ0सा0 5 जो कि पीडिता की माँ है पीडिता को

आरोपी के द्वारा ले जाने की घटना के संबंध में उसकी बहन के द्वारा फोन से उसे बताना अभिकथित की है। इस प्रकार इस बिन्दु पर चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षिया के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसकी लडकी वर्तमान में जालोन वाले जितेन्द्र के साथ रह रही है। आरोपी के द्वारा शादी करने के संबंध में लडकी के द्वारा लोटकर आने पर उसे बताना अभिकथित की है, किन्तु पीडिता के द्वारा कहीं भी यह नहीं बताया कि उसने इस संबंध में अपने माता-पिता को बताया था।

19. आरोपी के द्वारा अपने बचाव में यह आधार लिया गया है कि उसने कभी भी शादी करने के लिए पीडिता से नहीं कहा था और उसे फंसाने के उद्देश्य से झूठा कथन किया जा रहा है।

20. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य कथन के मूल्य एवं उनकी विश्वसनीयता पर विचार किया जाना उचित होगा।

21. सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि घटना की पीडिता के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में मात्र यह बताया जा रहा है कि आरोपी उससे शादी करने के लिए कह रहा था तो उसने शादी करने से मना कर दिया था। आरोपी के द्वारा उसके साथ कोई अयुक्त संभोग किया गया हो या अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या विलुब्ध किया गया हो ऐसा कहीं भी पीडिता के द्वारा अपने साक्ष्य में नहीं बताया है। यह उल्लेखनीय है कि स्वयं पीडिता अपने साक्ष्य कथन में इस बात को स्वीकार की है कि वह शादीशुदा है और आरोपी भी शादीशुदा है उसके दो बच्चे भी हैं। पीडिता जो कि स्वयं अपने पति के साथ नहीं रहती है और पति को छोड़कर मायके में रह रही है, जैसा कि उसके कथन से ही स्पष्ट है। पीडिता के द्वारा इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि वर्तमान में वह जिस व्यक्ति के साथ रह रही है उसका नाम जीतू है और उसके साथ उसका विवाह नहीं हुआ वह बिदा होकर रह रही है। आरोपी जो कि पीडिता के गांव का ही रहने वाला है, जो कि स्वयं शादीशुदा है तथा वह यह भी द जानता है कि पीडिता भी शादीशुदा है उसके द्वारा पीडिता को अपने साथ शादी करने के लिए किसी प्रकार से विवश किया जा रहा हो ऐसा साधारणतः मान्य नहीं किया जा सकता है। आरोपी के द्वारा उसे शादी करने के लिए किसी प्रकार से कोई कृत्य किया गया हो या इस हेतु उसे विवश किया गया हो ऐसा भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

22. इसके अतिरिक्त प्रकरण में पीडिता के साक्ष्य कथन के परिप्रेक्ष्य में जो कि आरोपी के द्वारा ट्रेन में उसे ग्वालियर स्टेशन से ले जाना बता रही है और यह अभिकथित कर रही है कि रेल्वेस्टेशन तक वह पैदल गई थी, आरोपी बंटी टिकिट की लाइन में लगा था उसे एक जगह बिठा दिया था, ट्रेन में भी वह लेट्रिन पैशाब आदि के लिए जाना बता रही है,

ट्रेन में बैठे यात्रियों से उसने कोई बातचीत नहीं की थी और किसी से उसने यह नहीं कहा था कि उसे कहीं ले जाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ट्रेन से मुम्बई शहर में जाना बता रही है और बुम्बई में आरोपी के साथ दो दिन घूमना भी वह बता रही है और इस दौरान उसे कई लोग मिले थे, किन्तु उसके द्वारा किसी को भी यह नहीं बताया था कि आरोपी उसे जबरदस्ती लेकर आया है और न ही उसने किसी की सहायता मागी थी और न ही वह चिल्लाई थी। निश्चित तौर से यदि आरोपी के द्वारा पीडिता को जबरदस्ती ले जाया गया होता तो वह रेल्वेस्टेशन पर जहाँ तक आरोपी टिकिट लेने गया था और वह एक जगह बैठी हुई थी अथवा ट्रेन में सह यात्रियों से अथवा मुम्बई में दो दिन तक जब वह आरोपी के साथ घूम रही थी, इस दौरान वह इस संबंध में कि उसे जबरदस्ती ले आया गया है बता सकती थी, किन्तु उसके द्वारा कहीं भी एवं किसी को भी इस संबंध में बताया जाना दर्शित नहीं होता है और न ही उसके द्वारा किसी को बताने का प्रयास किया गया है, ऐसा उसके कथन से परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त मुम्बई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से पटियाला भी आरोपी के साथ आना वह बता रही है और पटियाला में भी 5-6 दिन तक रुकना वह अभिकथित की है और उसने अहमदाबाद या पटियाला में भी किसी व्यक्ति को उसने यह नहीं बताया था कि आरोपी उसे जबरदस्ती ले आया है। पीडिता का उक्त कथन भी इस बात को दर्शाता है कि आरोपी उसे जबरदस्ती नहीं ले गया था, बल्कि वह सहमत पक्षकार थी और वह अपनी इच्छा से आरोपी के साथ गई थी, अन्यथा इतने लम्बे समय तक जब वह सार्वजनिक वाहनों में गई एवं कई सार्वजनिक स्थानों पर पहुँची और उसे कई बार इस संबंध में बताने का मौका भी मिला है, उसके उपरांत भी उसके द्वारा कहीं भी किसी व्यक्ति को इस संबंध में बताया जाना दर्शित नहीं होता है।

23. इसके अतिरिक्त पीडिता ग्वालियर पहुँचने पर 2-3 दिन बाद अपने पिता के पास पहुँचना कंडिका 11 में बता रही है। ग्वालियर से गोहद आने के संबंध में भी उसके द्वारा जो तथ्य बताया जा रहा है उस संबंध में भी साक्षिया के कथनों में स्पष्ट रूप से बिसंगती आई है, वह किसी प्रकार से ग्वालियर से गोहद थाने में पहुँची थी, इस संबंध में भी वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। गोहद थाने में रात को रुकना और रात को ही उसके भाई, माँ, पिता, मौसी व अन्य रिस्तेदार आ जाना वह अभिकथित कर रही है। निश्चित तौर से पीडिता के कथित रूप से आ जाने के पश्चात् उसे उसी दिन दस्तयाब नहीं किया गया है, बल्कि दूसरे दिन उसकी दस्तयाबी बनाई जानी परिलक्षित होती है और रात भर उसे अपने भाई, माता पिता से बातचीत करने का अवसर रहा है और इस दौरान उनके द्वारा आरोपी के संबंध में जो कि उसके भाई का आरोपी से पैसे के लेनदेन के संबंध में विवाद भी होना स्पष्ट होता है, सोच

समझकर आरोपी के विरुद्ध कथन दिया हो इस संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

24. यह भी महत्वपूर्ण है कि घटना की गुमशुदगी रिपोर्ट जो कि पीडिता के भाई लक्ष्मण के द्वारा दर्ज कराई गई है और इस संबंध में साक्षी लक्ष्मण और उसके पिता बालाराम के कथनों में स्पष्ट रूप से यह आया है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि पीडिता को आरोपी बंटी ले गया है, इसके उपरांत भी गुमशुदगी रिपोर्ट प्र.पी. 1 में भी कहीं इस आशय का उल्लेख नहीं है कि आरोपी पीडिता को ले गया अथवा आरोपी पर उसे ले जाने के संबंध में कोई शक है, बल्कि उसमें केवल यह उल्लेख है कि अपने भाई कल्लू को इटायली गेट पर छोड़कर वह कहीं चली गई घर लोटकर नहीं आई। यदि पीडिता के घर वालों को यह जानकारी थी कि आरोपी ही पीडिता को जबरदस्ती ले गया हो तो घटना के दूसरे दिन 06.09.2011 को दर्ज कराई गई गुमशुदगी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया गया यह भी विचारणीय है और इस संबंध में पीडिता के पिता बालाराम के द्वारा यह बताया जा रहा था कि उनके द्वारा थाने पर इस आशय की रिपोर्ट जिस लडकी गई थी उसी दिन दर्ज करा दी थी, किन्तु ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न नहीं है। उक्त तथ्य भी इस बात को दर्शाता है कि अभियोजन के द्वारा घटना के संबंध में घटना का जो क्रम बताया जा रहा है वह बाद में सोच समझकर उनके द्वारा बताया जा रहा है। इस संबंध में वास्तव में पीडिता का भाई कल्लू के सामने पीडिता को जबरदस्ती ले जाया गया है जो कि कल्लू को चांटा मारकर आरोपी के द्वारा भगा दिया गया हो जैसा कि इस संबंध में अभियोजन साक्षी कल्लू के प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्य एवं अन्य साक्षियों के इस बिन्दु पर आए हुए कथनों से यह परिलक्षित होता है कि उक्त कहानी बाद में बनाई गई है।

25. धारा 366 भा0दं0वि0 की प्रमाणिकता हेतु आरोपी का आशय महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण की पीडिता जो कि घटना के समय बालिग थी एवं शादीशुदा महिला थी जो कि अपना भला बुरा समझने में सक्षम है। यह भी स्पष्ट है कि आरोपी भी शादीशुदा व्यक्ति है जिसके कि बच्चे भी है और दोनों एक ही गांव के है। पीडिता जो कि बालिग महिला है उसे आरोपी के द्वारा किसी वल पूर्वक अथवा किसी प्रवंचनापूर्ण उपायों के द्वारा अपने साथ जाने के लिए उत्प्रेरित किया गया हो ऐसा भी सम्पूर्ण साक्ष्य के उपरांत दर्शित नहीं होता है, बल्कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य जिस पर कि पूर्व में विचारण, विवेचन किया गया है से यह स्पष्ट होता है कि पीडिता सहमत पक्षकार है और वह स्वेच्छया पूर्वक आरोपी के साथ गयी थी। आरोपी के द्वारा उसे विवाह करने के लिए कहने और उसके द्वारा मना करने के संबंध में पीडिता के द्वारा जो बात अपने साक्ष्य कथन में बताई

गई है उसमें भी किसी प्रकार की कोई दृढता होनी भी नहीं पाई जाती है और न ही ऐसा कोई कृत्य आरोपी के द्वारा किया जाना पाया जाता है जिससे कि कथित रूप से उसे विवाह करने के लिए वह विवश या विलुब्ध कर रहा हो।

26. दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला अपने साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे प्रमाणित करना होगा। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण में पीडिता अ०सा० 1 के कथन में उसके द्वारा जो घटनाक्रम बताया गया है वह उस संबंध में विश्वास योग्य नहीं है, बल्कि वह एक सहमत पक्षकार होनी स्पष्ट होती हैं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी कल्लू जो कि घटना प्रारंभ होते समय मौजूद होना बताया जा रहा है उसकी भी वास्तव में घटनास्थल पर मौजूदगी का तथ्य भी संदिग्ध है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी मात्र सुने सुनाए साक्षीगण है। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होनी नहीं पाई जाती है।

27. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार किये जाने के उपरांत अभियोजन प्रकरण युक्तियुक्त रूप से आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी को धारा 366 भा०दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

28. आरोपी के निरोध के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का निरोध प्रमाणपत्र बनाए जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला—भिण्ड म०प्र०

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला—भिण्ड म०प्र०

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि अमान्य
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)